



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार 16 अगस्त, 1997

श्रावण 25, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1264/सत्रह-वि-1-1(क)-30-1997

लखनऊ, 16 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 16 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1997)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

2—संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, खण्ड (3-क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:-

“(4) “विनिर्माणशाला” का तात्पर्य आसबनी से भिन्न किसी ऐसी इकाई से है जहां भारत में निर्मित विदेशी शराब का निर्माण किया जाता हो और बोटल में बन्द किया जाता हो”।

संक्षिप्त नाम

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम संख्या 4
सन् 1910 की धारा
3 का संशोधन

- धारा 17 का संशोधन 3—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में, शब्द "अथवा यवासवनी" के स्थान पर शब्द "यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला" रख दिये जायेंगे।
- धारा 18 का संशोधन 4—मूल अधिनियम की धारा 18 में, खण्ड (ग) में, शब्द "अथवा यवासवनी" के स्थान पर शब्द "यवासवनी अथवा विनिर्माणशाला" बढ़ा दिये जायेंगे।
- धारा 19 का संशोधन 5—मूल अधिनियम की धारा 19 में, शब्द "यवासवनी" के स्थान पर शब्द "यवासवनी, विनिर्माणशाला" रख दिये जायेंगे।
- धारा 29 का संशोधन 6—मूल अधिनियम की धारा 29 में, खण्ड (ड) में, शब्द "या यवासवनी" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यवासवनी या विनिर्माणशाला" रख दिये जायेंगे।
- धारा 41 का संशोधन 7—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (ख) में, शब्द "या यवासवनी" के स्थान पर शब्द "यवासवनी या विनिर्माणशाला" रख दिये जायेंगे।
- धारा 60 का संशोधन 8—मूल अधिनियम की धारा 60 में, उपधारा (1) में, खण्ड (घ) और (च) में शब्द "यवासवनी" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यवासवनी, विनिर्माणशाला" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1264 (2)/XVII-V-1-1 (KA) 30/1997

Dated Lucknow : August 16, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Aabkari (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 16, 1997.

THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT 1997

(U.P. Act No. 16 of 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the United Provinces Excise Act, 1910

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1910

2. In section 3 of the United Provinces Excise Act, 1910, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (3-a) the following clause shall be inserted, namely :—

"(4) 'manufactory' means a unit other than a distillery, where Indian made foreign liquor is manufactured and bottled."

- | | |
|--|-------------------------|
| 3. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "or brewery" the words "brewery or manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 17 |
| 4. In section 18 of the principal Act, in clause (c) for the words "or brewery" the words "brewery or manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 18 |
| 5. In section 19 of the principal Act, for the word "brewery" the words "brewery, manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 19 |
| 6. In section 29 of the principal Act, in clause (e) for the words "or brewery" wherever occurring the words "brewery or manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 29 |
| 7. In section 41 of the principal Act, in clause (b) for the words "or brewery" the words "brewery or manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 41 |
| 8. In section 60 of the Principal Act, in sub-section (1) in clauses (d) and (f), for the word "brewery" wherever occurring the words "brewery, manufactory" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 60 |

By order.

R. D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.